अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–RAN-06/2006
49/2008

वादी–डायरेक्टर सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल बनाम प्रतिवादी–सुशील पाहन एवं अन्य

15/2/18

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित।

प्रस्तुत अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद सं0–43/2005–06 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस देकर इसकी सुनवाई प्रारम्भ की गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अभिवक्ता ने अपने बयान एवं लिखित अभिकथन में बताया है कि प्रश्नगत भूमि रामगढ़ अंचल अन्तर्गत मौजा–मुर्रामकला, खाता सं0–30, खेसरा सं0–316, रकबा–0.75 डी0 भूमि अपीलार्थी को रजिस्टर्ड केवाला संख्या–3089/1987 से हासिल है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी अंचल अधिकारी, रामगढ़ से दाखिल–खारीज वाद सं0 166/86–87 स्वीकृत कराकर पंजी–II में पृष्ठ सं0– 46/05 पर श्री हरिनारायण चतुर्वेदी, पिता कैलाशनाथ चतुर्वेदी के नाम से जमाबंदी धारित है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि उन्हें काशी महतो, पिता– गोहित महतो द्वारा निबंधित डीड से प्राप्त है। जबकि विक्रेता काशी महतो को विवादित भूमि वजरिये केवाला सं0–2551/1942 में घनाराम वगैरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने बहस के दौरान बताया कि विवादित भूमि पर एक शिक्षण संस्थान है जो 1987 में निर्माण हुआ है? साथ ही इनके द्वारा यह भी बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा वाद सं0– 46/05–06 में पारित आदेश पूर्णतः कालबाधित है। उक्त वाद में एक पक्ष को सुनते हुए आदेश पारित किया गया जबकि उक्त वाद में उन्हें सुनवाई का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह बताया कि इस वाद का प्रारम्भ अंचल अधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है, जबकि C.N.T Act 49 के प्रावधान के तहत् आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए। उनके द्वारा दिनांक–19.01.2017 को आठ पन्नों का लिखित अभिकथन दिया गया और बताया गया कि आवेदक को Occupancy Right नहीं था। ऐसी स्थिति में इस वाद को पुनः सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के पास वापस किया जाना चाहिए अथवा इसकी सुनवाई इस न्यायालय में ना होकर व्यवहार न्यायालय में होना चाहिए। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के नियमन और दखल कब्जा के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को खारित करने एवं इस वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

15/2

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश पूर्णतः सही है। उन्होंने कहा कि

Scanned by CamScanner

अपीलकर्त्ता यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि विवादित आदिवासी भूमि उन्हें कब और कैसे मिली? उनके द्वारा अपने अभिकथन में कहा गया है कि C.N.T Act 49 के तहत् अनुमति मिलने के बाद यह भूमि उन्हें केवाला से प्राप्त हुआ है। अपीलकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने बहस के दौरान बताया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी कागजात वैधिक रूप से सही नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल केवाला सं0–3089/87 को आधार बनाया गया है जो हजारीबाग से निबंधित है, जबकि विवादित भूमि का निबंधन कार्यालय गोला है। साथ ही उन्होंने इसी दाखिल–खारीज का एक केवाला की सच्ची प्रति दिखाते हुए यह कहना चाहा कि केवाला सं0–3089/87 में विक्रेता अलग हैं। साथ ही उन्होंने एक और केवाला सं0–2551/42 की सच्ची प्रति दिखाते हुए यह बताया कि अपीलकर्ता के केवाला में इसकी चर्चा है वह भी पूर्णतः सही नहीं है। दोनों केवाला दुसरे गाँव के दुसरे रैयत के नाम से दर्ज है।

विज्ञ अधिवक्ता द्वारा एक नियमन माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड BCJR/1701/2004 की प्रति दाखिल कर मांग करते हैं कि आदिवासी के मामले में वाद को कालबाधित बताना तकनिकी रूप से सही नहीं है। उन्होंने बताया कि अपीलकर्त्ता श्री चतुर्वेदी द्वारा आदिवासी की जमीन गलत तरीके से हड़प ली गई है। उन्होंने यह जमीन वापस कराई जाय और अपीलकर्ता के आवेदन को खरीज किया जाय।

विषयगत् वाद में सरकारी अधिवक्ता द्वारा अपील कर्त्ता के दावे का पुरजोर विरोध किया गया और बताया गया कि C.N.T Act 46 (4-A) के तहत् यह देखना आवश्यक है कि 1. आवदेक Occupancy रैयत है अथवा नहीं। 2. आदिवासी भूमि का हस्तान्तरण उपायुक्त के अनुमति से हुई है अथवा नहीं। 3. भूमि का हस्तान्तरण 12 वर्षों के अन्दर है अथवा नहीं। उनके द्वारा यह बताया गया कि अपीलकर्त्ता हमेशा अपील के आधार को बदलते रहे हैं। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि जब मध्यवर्ती जमींदार 1942 में घाना महतो को विवादित भूमि हस्तान्तरित किया वह पूर्णतः नियमसंगत नहीं है। उन्होंनें यह भी कहा कि जब अंचल अधिकारी द्वारा विवादित भूमि का दाखिल–खारीज किया जा रहा था तो उस समय विपक्षी पाहन वगैरह को नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वाद में सुशील पाहन वगैरह खतियानी रैयत के वंशज हैं इसलिए वे Occupancy रैयत की श्रेणी में हैं और इनके पूर्वजों द्वारा विवादित भूमि का हस्तान्तरण कभी नहीं किया गया है। साथ ही आवेदक की जमाबंदी से घटाकर अपीलार्थी का जमाबंदी संधारित भी नहीं किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करना या Remand Back करने का कोई आधार नहीं है।

Scanned by CamScanner

उभयपक्षों को सुनने के उपरांत और कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् विवादित आदिवासी भूमि किस परिस्थिति में गैर आदिवासी के बीच हस्तान्तरित हुई है यह अपीलकर्त्ता साबित करने में असमर्थ हैं ? साथ ही डीड निबंधन कार्यालय, हजारीबाग और गोला में भी विवाद है एवं आदिवासी रैयत की भूमि से धारित रकबा घटाकर अपीलाथी का जमाबंदी संधारित भी नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भूमि का हस्तान्तरण C.N.T Act की सुसंगत धाराओं के तहत् हुआ है। विपक्षी द्वारा यह बताया गया कि यह मामला कालबाधित भी नहीं है उनके द्वारा जो नियमन उपलब्ध कराया गया है उससे मैं सहमत हूँ।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित हो सके कि आदिवासी रैयत की भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46(4-A) के प्रावधानों के अनुसार वर्णित भूमि क्रय किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है ।

लेखापित एंव संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Scanned by CamScanner